

फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
भवानी शंकर बनाम २-२कार किरम गु०.....
मिसल न० ११७/२०१५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स/सजज	नम्बर व तारीख अहकाम/हुकम की तामील में जारी हुए
१०/११/२५	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संवल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी भवानीशंकर पुत्र सूरजमल ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिरसे की भूमि में प्रार्थी का नाम भवानीशंकर पुत्र सूरज्या सूरज्या नि० गेंता नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2075 से 78 मुताबिक खाता संख्या 345 खसरा नंबर 1293 में काश्तगार का नाम भवानीशंकर पुत्र सूरज्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबन्धित पटवारी भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम भवानीशंकर पुत्र सूरज्या के स्थान पर भवानीशंकर पुत्र सूरजमल दर्ज किया जावे। आज दिनांक १०/११/२५ को सरे इजलास सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	